न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती चंचल वर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 79/2016 प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 111, 128रा.भू.रा.अधि.1956

1. कैलाश S/o लादु कुम्हार नि. सोपुरा तह – कोटडी जिला-भीलवाडा
2. लादु S/o छुकल कुम्हार नि. सोपुरा तह-कोटडी जिला-भीलवाडा

अनवान

बनाम

1. लोमिचन्द S/o रुपा कुम्हार नि. सोपुरा तह-कोटडी जिला-भीलवाडा
2. सुखी देवी D/o नाथु जाट नि. सोपुरा तह कोटडी जिला-भीलवाडा
3. कालू S/o सुन्दर जाट नि. सोपुरा तह-कोटडी जिला-भीलवाडा
4. आनन्दीलाल S/o सुन्दर लाल जाट नि. सोपुरा तह-कोटडी जिला-भीलवाडा
5. लादु S/o जोधा जाट नि. सोपुरा तह कोटडी जिला-भीलवाडा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि.1956

आदेश

दिनांक

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 23/02/2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आकोला तहसील कोटड़ी की नवीन खतौनी सं0 289, 290, 293 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक कुल किता 03 रकबा 3.02 बीघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें / संयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन जारी कियें गयें। सम्मन बाद तामील पत्रावली पर लियें गयें। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुउपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नहीं करायें जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत कियें जाते है एवं प्रकरण में सबंधित भू0अ0निरीक्षक आकोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके ग्राम आकोला प0म0 आकोला स्थित नवीन खतौनी संख्या 289, 290, 293 कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक........ कुल किता 03 रकबा 3.02 बीघा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्ष को सूचित किया जाकर बाद तिथि निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमीश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 300/- रूपये जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार कोटड़ी विधिवत पत्थरगढ़ी के आदेश सबंधित भू0अ0नि0 को करेंगें।

(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – तहसीलदार कोटड़ी को भेजकर लेख है कि आवदेक की राशि जमा होने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा